GCMS 2021/37

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

राजाराम वगैरा बनाम स्टेट व बीरबल

अपील प्रकरण सं0 24 / 2021

अधिवक्ता अपीलार्थी :–श्री रामप्रकाश खुडियाल / अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट :–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
16.06.2021	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.06.2021 को पेश हो।	
21.06.2021	अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के जेरकार प्रकारण दिनांक 829/2019 में पारित निर्णय की पालना में जो इन्तकाल दर्ज किया गया है वह अपीलांट को बिना सुने इन्तकाल दर्ज किया गया है। उक्त विवादित इन्तकाल से अपीलांट का नाम अपीलांट को बिना सुने हटाया गया है जो विधि विरूद्व है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला निर्णय अपील मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थित बनाये रखने का आदेश पारित करें। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया । तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना में इन्तकाल दर्ज किया गया है जो विधिसम्मत् है। अपीलार्थी उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय से सहमत नहीं है तो उक्त निर्णय के विरूद्व अपील कर सकता है। तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश की पालना में स्वीकृत इन्तकाल संख्या 351/10.03.2021 किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील निष्प्रभारी होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 21.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पंवार) अति. जिला कलक्टर (प्रशासन),श्रीगंगानगर	